अनुलग्नक-- 11 (द्रष्टव्य कंडिका 3.12)

संशोधित मानदर पर साहाय्य मुहैया कराने के संबंध में पत्र

पत्रांक - I प्रा0आ0 -36/2002/2462 आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक

मनोज कुमार श्रीवास्तव,
आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में

सभी विभागीय प्रधान सचिव/ आयुक्त एवं सचिव/ सचिव,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना -15, दिनांक - 12/8/07

विषय :- वर्ष 2005-10 तक के लिए दिनांक- 27.06.2007 से प्रभावी प्रत्येक वर्ष बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को भारत सरकार द्वारा (सी0आर0एफ0 एवं एन0सी0सी0एफ0) निर्धारित साहाय्य मानदर के अनुरूप संशोधित मानदर पर साहाय्य मुहैय्या कराने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन - I डिविजन), नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली के पत्रांक-32-34/2005- एन0डी0एम0- I दिनांक- 27.06.2007 के द्वारा आपदा राहत कोष (सी0आर0एफ0) तथा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन0सी0सी0एफ0) से वर्ष 2005-2010 तक प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों के बीच साहाय्य वितरण हेतु मदों की सूची तथा संशोधित मानदर निर्धारित किया गया है ।

2. उपर्युक्त संशोधित मानदर पर आपदा राहत कोष समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा पूर्ण विचारोपरान्त भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र संख्या-32-34/2005/एन0डी0एम0-I, दिनांक- 27 जून 2007 द्वारा निर्धारित एवं अद्यतन संशोधित निम्नांकित साहाय्य मानदर राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है:-

क्रम संख्या	मद का नाम	भारत सरकार के पत्र सं0-32-34/2005/एन0डी0एम0 I दिनांक- 27.06.2007 द्वारा निर्धारित एवं अद्यतन संशोधित मानदर। **(2005-2010) तक के लिए । (दिनांक 27.06.2007 से प्रभावी)**
1.	**अनुग्रह अनुदानः** (क) मृतक के परिवार को अनुग्रह अनुदान का भुगतान।	**1.00 लाख** रूपये प्रति मृतक । ➢ राज्य सरकार द्वारा नामित सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत मृत्यु के कारण संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा, जिसमें यह सत्यापित होगा कि मृत्यु सी0आर0एफ0 और एन0सी0सी0एफ0 के योजना के तहत वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ है।

		➢ प्राकृतिक आपदा की स्थिति में साहाय्य कार्य/ तैयारी में लगे सरकारी कर्मी/ साहाय्य कर्मी (अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के परिणामस्वरूप, या आपदा की पूर्व तैयारी के दौरान यथा मॉक ड्रिल इत्यादि में लगे) की मृत्यु होने की स्थिति मे उनके परिवार को **1.00 लाख रूपये** का अनुदान अनुमान्य होगा।
		➢ भारतीय नागरिक का अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के कारण विदेश में मृत्यु होने पर उसके परिवार को अनुग्रह अनुदान अनुमान्य नही होगा।
		➢ इसी प्रकार विदेशी नागरिक का अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के कारण भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर मृत्यु होने पर उसके परिवार को *अनुग्रह अनुदान अनुमान्य नही होगा।*
	(ख) हाथ-पैर या आँखों की क्षति होने पर अनुग्रह अनुदान का भुगतान।	(i) **35,000/-रू0** प्रति व्यक्ति (जब विकलांगता 40 से 75 प्रतिशत के बीच सरकारी डॉक्टर या सरकार द्वारा स्वीकृत पैनल के डॉक्टर द्वारा सत्यापित हो) (ii) **50,000/-रू0** प्रति व्यक्ति (जब विकलांगता 75% से अधिक का होना सरकारी डॉक्टर या सरकार द्वारा स्वीकृत पैनल के डॉक्टर द्वारा सत्यापित हो)
	(ग) गंभीर चोट (Grievous Injury) जिसके चलते हॉस्पीटल में भर्त्ती होना पड़े।	➢ **7,500/-रू0 प्रति व्यक्ति** । (गंभीर चोट (Grievous Injury) ऐसा हो जिसके चलते एक सप्ताह से अधिक हॉस्पीटल में रहना पड़े)। ➢ **2,500/-रू0 प्रति व्यक्ति।** (गंभीर चोट अथवा घाव (Grievous Injury) ऐसा हो जिसके चलते एक सप्ताह से कम हॉस्पीटल में रहना पड़े)।
	(घ) वृद्ध, अपाहिज (Infirm), एवं निःसहाय् बच्चों (destitute children) के लिए अनुदान।	➢ 20/-रू0 प्रति व्यस्क प्रतिदिन। ➢ **15/-रू0 प्रति बच्चा प्रतिदिन।**
	(ड़) प्राकृतिक आपदा के कारण जिन परिवारों का घर बह गया हो/ पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गया हो/ गंभीर रूप से एक सप्ताह से अधिक जलप्लावित हो गया हो उनके लिए वस्त्र और बर्त्तन/ घरेलू सामान हेतु अनुदान।	➢ **कपड़ा के लिए - 1,000/-रू0 प्रति परिवार।** ➢ **बर्तन/ घरेलू सामान के लिए- 1,000/-रू0 प्रति परिवार।**
	(च) प्राकृतिक आपदाओं के पश्चात् अति जरूरतमंद परिवारों को तत्काल अनुग्रह अनुदान की आवश्यकता	20/- रू0 प्रति व्यस्क तथा **15/- रू0 प्रति बच्चा** प्रतिदिन। **<u>अनुग्रह साहाय्य अनुदान प्रदान करने की अवधि</u>:-** **(i) प्राकृतिक आपदा, सूखा एवं कीट आक्रमण को छोड़कर**

	जिनके पास खाद्यान्न नही है या प्राकृतिक आपदाओं से बर्बाद हो गये है और उन्हें तत्काल सहायता के लिए कोई अन्य साधन उपलब्ध नहीं है।	(सिर्फ टिड्डी और दाँतों से कुतरने वाला जन्तु (Rodent) का संत्रास) ➢ अधिकतम 15 दिन। ➢ उपरोक्त अधिसूचित गंभीर प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में सी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्य स्तरीय समिति की स्वीकृति से **अधिकतम 30 दिन** तक और एन0सी0सी0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय समिति के आँकलन के अनुसार। **(ii) सूखा एवं कीट आक्रमण को छोड़कर** (सिर्फ टिड्डी और दाँतों से कुतरने वाला जन्तु (Rodent) का संत्रास) ➢ अधिकतम 60 दिन भयंकर सूखा/ कीट आक्रमण की स्थिति में 90 दिन तक। ➢ यदि सूखा या कीट आक्रमण की स्थिति 90 दिनों के बाद भी बरकरार रहती है तो वैसी स्थिति में राज्य स्तरीय समिति माहवार समीक्षा के पश्चात् प्रत्येक माह मे निर्णय लेगी कि पुनः आगे की किस अवधि तक के लिए सी0आर0एफ0 से मानदर मुहैय्या किया जाएगा।
2.	अनुपूरक पोषण आहार (Supplementary Nutrition)	**2/- रू0 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन** आई0सी0डी0एस0 मानदर के अनुसार। **<u>साहायय प्रदान करने की अवधि</u>:-** **(i) प्राकृतिक आपदा, सूखा एवं कीट आक्रमण को छोड़कर** (सिर्फ टिड्डी और दाँतों से कुतरने वाला जन्तु (Rodent) का संत्रास) ➢ अधिकतम 30 दिनों तक सी0आर0एफ0 से राज्य स्तरीय समिति की स्वीकृति प्राप्त कर और एन0सी0सी0एफ0 से केन्द्रीय दल के आँकलन के अनुसार। **(ii) सूखा एवं कीट आक्रमण को छोड़कर** (सिर्फ टिड्डी और दाँतों से कुतरने वाला जन्तु (Rodent) का संत्रास) ➢ **अधिकतम 60 दिन तक** साहायय मुहैय्या किया जा सकता है। ➢ सी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्य स्तरीय समिति की स्वीकृति से और एन0सी0सी0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय समिति के आंकलन के अनुसार 90 दिनों तक सहाय्य मुहैय्या करायी जा सकती है।
3.	प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त फसल के लिए लघु/ सीमांत कृषकों को साहाय्य। (क) कृषि भूमि का डिसिल्टिंग।	**6000/- रू0 प्रति हेक्टेयर।** (जहॉ बालू/ सिल्ट का जमाव 3 इंच से अधिक हो और राज्य सरकार के सक्षम पदाधिकारी द्वारा सत्यापित हो।

	(ख) पहाड़ी क्षेत्रों मे कृषि भूमि के डेवरिस(मलवा) हटाने के लिए।	**6000/-रू0 प्रति हेक्टेयर।**
	(ग) मछली फार्मों का डिसिल्टिंग/ पुनर्स्थापना/ मरम्मति।	**6000/- रू0 प्रति हेक्टेयर।** (बशर्ते कि किसी सरकार के किसी अन्य योजना द्वारा सहायता पाने योग्य न हों या सहायता/ सब्सिडी न प्राप्त कर लिया हो
	(घ) भूस्खलन/ बर्फ का पहाड़ से खिसकना (Avalanche), नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण भूमि के बड़े हिस्से की क्षति।	**15,000/-रू0 प्रति हेक्टेयर।** (सहायता उन्हीं लघु एवं सीमांत कृषकों को प्रदान किया जाएगा, जो राजस्व अभिलेख के अनुसार खोई हुई जमीन के वैद्य मालिक हैं।
	(ड़) कृषि इनपुट सब्सिडी जहाँ फसल क्षति 50% या उससे अधिक हुआ हो-	
	(i) कृषि फसल/ रोपने वाले फसल (horticulture crops) एवं वार्षिक वृक्षारोपन वाले फसल आदि के लिए।	➢ **2,000/- रू0 प्रति हेक्टेयर वर्षा आधारित फसल क्षेत्र के लिए ।** ➢ **4,000/- रू0 प्रति हेक्टेयर सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र वाले फसल के लिए ।** (क) अज्ञात (Unown) या परती (fallow) पड़े कृषि योग्य जमीन के लिए कोई इनपुट सब्सिडी का भुगतान नहीं किया जाएगा। (ख) छोटी जमीन (tiny holding) वाले किसी छोटे किसानों को साहाय्य राशि 250/-रू0 से कम नही दी जाएगी।
	(ii) "पेरिनियल" (शाश्वत्) फसल के लिए।	**6,000/- रू0 प्रति हेक्टेयर** सभी तरह के शाश्वत फसल के लिए। (क) कृषि योग्य बिना बुआई किए गए या परती कृषि भूमि के लिए कोई इनपुट सब्सिडी नही दिया जाएगा। (ख) छोटी जमीन (tiny holding) वाले किसी छोटे किसानों को साहाय्य राशि 500/-रू0 से कम नही दी जाएगी।
4.	लघु एवं सीमांत कृषकों से भिन्न कृषकों को कृषि इनपुट सब्सिडी।	50 % एवं अधिक फसल क्षति होने पर 1 हेक्टेयर प्रति कृषक, 2 हेक्टेयर प्रति कृषक, अनुवर्त्ती आपदा के मामले मे चाहे जमीन का आकार कैसा भी हो प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने की स्थिति में निम्नदर से देय होगा । ➢ **2,000/-रू0 प्रति हेक्टेयर** वर्षा आधारित फसल क्षेत्र के लिए। ➢ **4,000/-रू0 प्रति हेक्टेयर,** सुनिश्चित सिंचाई आधारित फसल क्षेत्र के लिए।

		➢ **6,000/-रू0 प्रति हेक्टेयर,** सभी प्रकार के पेरिनियल (शाश्वत) फसल के लिए। ○ बिना बुआई किए या परती कृषि भूमि के लिए कोई इनपुट सब्सिडी नहीं दिया जाएगा।
5.	लघु एवं सीमांत सेरीकल्चर (रेशम) किसानों के लिए साहाय्य्।	**2000/- रू0 प्रति हेक्टेयर "इरी" "मलबेरी" एवं "तसर" के लिए।** **2,500/- रू0 प्रति हेक्टेयर मूँगा के लिए।**
6.	**रोजगार सृजन (e.g. NREGP, SGRY)** संबंधी विभिन्न प्लान *योजनान्तर्गत निधि उपलब्ध होने* पर केवल अतिरिक्त जरूरतों की पूर्त्ति करने हेतु।	➢ न्यूनतम मजदूरी जो संबंधित राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित अकुशल श्रमिकों के लिए अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी के *समान दैनिक मजदूरी।* ➢ राहत कोष से योगदान प्रति व्यक्ति 8 किग्रा0 गेहूं या 5 किग्रा0 चावल तक प्रति व्यक्ति प्रतिदिन- बशर्ते कि राज्य में स्टॉक उपलब्ध रहे। खाद्यान्न का मूल्य "आर्थिक मूल्य" के आधार पर तैयार किया जाना है। ➢ न्यूनतम मजदूरी का शेष भाग नगद के रूप में भुगतान किया जाएगा। नगद राशि न्यूनतम मजदूरी के 25% से कम नही होना चाहिए। ➢ उपर्युक्त सहायता एक माह मे 10 दिन की अवधि के लिए दिया जाएगा (जिन क्षेत्रों में कोई अन्य योजनाएँ परियोजनाएँ जिसमें रोजगार सृजन का तत्व प्रभावी नही है वहाँ एक माह मे 15 दिन) ➢ राज्य सरकार को आवंटित खाद्यान्नों को आवंटन आदेश निर्गत की तिथि से तीन माह के अंतर्गत आवंटित खाद्यान्नों का उठाव एवं उपयोग करना है। ➢ प्रभावित क्षेत्रों में प्रत्येक इच्छुक ग्रामीण परिवार के एक व्यक्ति को कार्य दिया जाएगा इसकी गणना अलग-अलग मामलों में वास्तविक माँग के आधार पर आँकी जाएगी। ➢ राज्य स्तरीय समिति द्वारा आकलित सहायता सी0आर0एफ0 द्वारा मुहैय्या कराये जाने वाले सहायता राशि से और केन्द्रीय दल द्वारा आकलित सहायता एन0सी0सी0एफ0 से मुहैय्या करायी जाएगी
7.	**लघु एवं सीमान्त कृषकों/खेतिहर मजदूरों को पशुपालन संबंधी साहाय्य् :-**	
	(i) अदुग्धकारी/ दुग्धकारी या ढुलाई के कार्यों में उपयोग में आने वाले पशुओं का प्रतिस्थापन।	<u>दुध देने वाला जानवर</u> **(i) भैंस/ गाय/ ऊँट/ याक इत्यादि- 10,000/-रू0 की दर से**

		(ii) भेंड़/ बकरी- 1,000/-रू0 की दर से अदुग्धकारी जानवर **(i) ऊँट/ घोड़ा/ बैल इत्यादि- 10,000/- रू0 की दर से।** **(ii) बछड़ा/ गदहा और टट्टू- 5,000/-रू0 की दर से।** ➢ साहाय्य आर्थिक रूप से उत्पादक जानवरों की वास्तविक क्षति के अनुसार सीमित होगी और यह एक बड़े दुग्धकारी जानवर या चार छोटे अदुग्धकारी जानवर या एक बड़े अदुग्धकारी जानवर या दो छोटे अदुग्धकारी जानवर प्रति परिवार तक सीलिंग के अंतर्गत होगी। चाहे जानवरों की क्षति की संख्या बड़ी क्यों न हो (क्षति राज्य सरकार द्वारा नामांकित सक्षम पदाधिकारी द्वारा सत्यापित की जाना है। **पॉल्ट्री:-** ➢ **30/-रू0 प्रति चिड़ियों की दर** से यह सहायता प्रत्येक लाभुक परिवारों को **300/-रू0 की अधिकतम सीमा** के अंतर्गत होगी। पाल्ट्री चिड़ियों की मृत्यु अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के कारण होनी चाहिए। **टिप्पणी:-** इन मानदरों के अंतर्गत साहाय्य अनुमान्य नहीं होगा यदि किसी अन्य सरकारी योजना (उदाहरणस्वरूप- चिड़ियों की क्षति पक्षी इंफलुएंजा के कारण या किसी अन्य बीमारियों के कारण हुई हो जिसके लिए पशुपालन विभाग द्वारा पॉल्ट्री मालिकों को क्षति पूर्ति करने हेतु कोई अलग योजना हो) द्वारा सहायता उपलब्ध हो।
	(ii) पशु शिविरों में पशुचारा/ feed concentrate हेतु।	**बड़ा पशु 20/- रू0 प्रतिदिन की दर से।** **छोटा पशु 10/- रू0 प्रतिदिन की दर से।** **सहायता प्रदान करने की अवधि** **(i) सूखा से भिन्न अधिसूचित आपदाओं के लिए:-** ➢ 15 दिनों की अधिकतम अवधि के लिए। **(ii) सूखा** ➢ 60 दिनों तक के लिए प्रचण्ड सूखा के मामले में 90 दिनों तक। ➢ 90 दिनों से अधिक सूखे की स्थिति बरकरार रहने के मामलें में राज्यस्तरीय समिति माहवार समीक्षा के आधार पर आभाव के वास्तविक अवधि/ वर्षात के आगमन के समय तक के लिए विस्तृत समीक्षा के उपरांत निर्णय लेगी कि किस अवधि तक NCCF से राहत मुहैय्या करायी जाय।

	(iii) पशु शिविरों में जलापूर्त्ति हेतु।	सी0आर0एफ0 के अंतर्गत सहायता का आंकलन राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा और केन्द्रीय दल के आंकलन के आधार पर एन0सी0सी0एफ0 से सहायता प्रदान की जाएगी। **<u>सहायता उपलब्ध करने की अवधि</u>** **(i) <u>सूखा से भिन्न अन्य अधिसूचित आपदाएँ</u>** ➢ अत्यधिक 15 दिनों की अवधि तक। **(ii) <u>सूखा</u>** ➢ 60 दिनों तक और प्रचंड सूखा की स्थिति में 90 दिनों तक। ➢ 90 दिनों से अधिक सूखे की स्थिति बरकरार रहने के मामलें में राज्यस्तरीय समिति माहवार समीक्षा के आधार पर आभाव के वास्तविक अवधि/ वर्षात के आगमन के समय तक के लिए विस्तृत समीक्षा के उपरांत निर्णय लेगी कि किस अवधि तक NCCF से राहत मुहैय्या करायी जाय।
	(iv) पशुदवा एवं टीकौषधि पर अतिरिक्त लागत (आपदा से संबंधित आवश्यकताओं के लिए।	➢ राज्य स्तरीय समिति द्वारा आकलित सहायता सी0आर0एफ0 द्वारा मुहैय्या करायी जाएगी और केन्द्रीय दल द्वारा आकलित सहायता एन0सी0सी0एफ0 से मुहैय्या करायी जाएगी।
	(v) पशु शिविर के बाहर पशुचारे की आपूर्त्ति।	➢ राज्यस्तरीय समिति स्वीकृत पशुचारा डीपो से पशुचारे के परिवहन पर होने वाले अतिरिक्त व्यय का आपदा के कारण होनेवाली मूल्यवृद्धि का अलग-अलग मामलों में सी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु निर्धारण करेगी और केन्द्रीय दल के आंकलन के आधार पर एन0सी0सी0एफ0 से सहाय्य मुहैय्या कराया जाएगा।
	(vi) उपयोगी पशुओं को अन्यत्र ले जाने हेतु।	➢ सी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0सी0सी0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा।
8.	**मछुआरों के लिए साहाय्य:-**	
	(अ) नाव और जाल- क्षतिग्रस्त या खोया (lost) की मरम्मति /पुनर्स्थापना। • ---नाव • ---डोंगी (Dugout-Canoe) • ---मस्तूल से चलने- वाला जलयान (Catamaran) • ---जाल	➢ **2,500/-रू0** (आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त सभी प्रकार के परम्परागत उपकरणों एवं जाल की मरम्मति हेतु) ➢ **7,500/-रू0** (पूर्णत: सभी प्रकार के परंपरागत क्षतिग्रस्त उपकरणों एवं जाल के प्रतिस्थापन के लिए) • ऐसे परम्परागत उपकरणों का राज्य सरकार के अंतर्गत निर्बंधित होना चाहिए। क्षति की सीमा (आंशिक या पूर्ण) राज्य सरकार द्वारा नामित सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्धारित/ सत्यापित किया जाना है।

	(यदि लाभुक किसी सक्षम आपदा या किसी अन्य सरकारी योजना के तहत सब्सिडी/सहायता पाने के योग्य हैं या सहायता का उपभोग कर लिया हो तो उन्हें यह साहाय्य नहीं प्रदान किया जाएगा)	
	(ब) मछली का जीरा के लिये अनुदान।	**4,000/-रू0 प्रति हेक्टेयर।** अगर लाभुक सरकार के किसी अन्य योजना के तहत योग्य हैं या सरकार तक्षण आपदा के लिए अनुदान/ सहायता प्राप्त कर लिए है तो उन्हें यह सहायता नहीं दिया जाएगा। (यदि किसी ने एक बार पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग, कृषि मंत्रालय के योजना के तहत एक बार अनुदान प्राप्त कर लिया है तो उसे छोड़कर)
9.	**हस्तशिल्प/ हस्तकरघा क्षेत्र के शिल्पियों (artisans) को उनके क्षतिग्रस्त उपकरणों के मरम्मति एवं पुनर्स्थापना हेतु:-**	
	(क) परम्परागत शिल्पी के लिए (हस्तशिल्प,Handicraft)।	
	(i) क्षतिग्रस्त उपकरण के पुनर्स्थापन (Replacement) के लिए :-	**2,000/-रू0 प्रति शिल्पी।** ➢ क्षति/ प्रतिस्थापन राज्य सरकार द्वारा नामित सक्षम पदाधिकारी द्वारा सही तरीके से सत्यापित होना है।
	(ii) कच्चे माल/ प्रक्रियाधीन माल (goods in process)/तैयार माल (finished goods) की क्षति के लिए :-	➢ कच्चे माल/ प्रक्रियाधीन माल/ तैयार माल की क्षति के लिए **2,000/-रू0 प्रति शिल्पी।** ➢ क्षति/ हानि राज्य सरकार द्वारा नामित सक्षम पदाधिकारी द्वारा सही तरीके से सत्यापित होना है।
	(ख) हस्तकरघा बुनकरों के लिए।	
	(i) करघा उपकरणों और पार्ट पुर्जो (accessories) की मरम्मति एवं पुनर्स्थापना हेतु :-	**लूम उपकरणों और साहायक उपकरण की मरम्मति/ प्रतिस्थापन** **<u>हस्तकरघा की मरम्मति के लिए</u>** ➢ **1,000/-रू0 प्रति हस्तकरघा।** **<u>हस्तकरघा के प्रतिस्थापन के लिए</u>** ➢ **2,000/-रू0 प्रति हस्तकरघा।** ➢ क्षति/ पुनर्स्थापन राज्य सरकार द्वारा नामित सक्षम पदाधिकारी द्वारा सही तरीके से सत्यापित होना है।

	(ii) सूत एवं अन्य सामग्रियों यथा रंग, रसायन और तैयार भंडार की खरीद के लिये :-	➢ **2,000/-रू0 प्रति हस्तकरघा।** ➢ क्षति/ पुनर्स्थापन राज्य सरकार द्वारा नामित सक्षम पदाधिकारी द्वारा सही तरीके से सत्यापित होना है।
10.	**क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मति और पुनर्स्थापन हेतु सहायता:-**	➢ क्षतिग्रस्त मकान राज्य सरकार के सक्षम पदाधिकारी द्वारा उचित रूप से सत्यापित एक प्राधिकृत संरचना **(authorized *construction)*** होना चाहिए। ➢ घर की क्षति की सीमा **(extent)** राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत तकनीकी अधिकारी द्वारा सत्यापित होना है।
	(क) पूर्णतया क्षतिग्रस्त/ बर्बाद मकान।	
	(i) पक्का मकान । (ii) कच्चा मकान ।	➢ **25,000/-रू0 प्रति मकान।** ➢ **10,000/-रू0 प्रति मकान।**
	(ख) अत्यधिक क्षतिग्रस्त मकान।	
	(i) पक्का मकान । (ii) कच्चा मकान।	➢ **5,000/-रू0 प्रति मकान।** ➢ **2,500/-रू0 प्रति मकान।**
	(ग) आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान- पक्का/ कच्चा दोनों (झोपड़ी से भिन्न) (जहाँ मकान की क्षति न्यूनतम 15 % हो)।	➢ **1,500/-रू0 प्रति मकान।**
	(घ) झोपड़ी(Huts): <u>क्षतिग्रस्त/ बर्बाद</u>	**2,000/-रू0 प्रति झोपड़ी।** ➢ (झोपड़ी का अर्थ- अस्थायी, बनाकर हटाने वाली ईकाई, कच्चा मकान का आंतरिक भाग, फूस, गीली मिट्टी, प्लास्टिक शीट्स से बना राज्य/ जिला के अधिकारियों द्वारा पारंपरिक रूप से दिखने, पहचानने और जानने योग्य झोपड़ी है)
11.	ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आकस्मिक पेय जलापूर्त्ति।	○ सी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0सी0सी0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा।
12.	महामारियों की रोकथाम के लिए रोगाणुनाशक/ कीटनाशक दवाओं की व्यवस्था।	"तथैव"
13.	अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के परिणामस्वरूप पशुओं एवं कुक्कुट को महामारी से बचाने के लिए स्वास्थ्य सहायता।	"तथैव"
14.	प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर निष्कासन।	"तथैव"

15.	जीवन रक्षा/ तत्काल साहाय्य् पहुँचाने हेतु भाड़े की नाव की व्यवस्था।	"तथैव" ○ अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के दौरान फँसे लोगों का जीवन बचाने हेतु नावों के किराया पर लेने एवं अपेक्षित उपकरणों पर हुए वास्तविक खर्च के अंतर्गत साहाय्य की प्रमात्रा (Quantum) सीमित रहेगी।
16.	आपदा प्रभावित लोगों को अस्थायी आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सेवा आदि उपलब्ध कराने की व्यवस्था। (राहत शिविर का कार्य operation of relief camps)	○ सी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0सी0सी0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा। ○ साहाय्य की प्रमात्रा (Quantum) हुए वास्तविक खर्च के अंतर्गत होगी। **अवधि** ➢ *सूखा से भिन्न प्राकृतिक आपदा के मामले में अधिकतम 15* दिनों की अवधि तक। ➢ सूखा से भिन्न गंभीर (severe) प्राकृतिक आपदा के मामले में अधिकतम 30 दिनों की अवधि तक। **सूखा** ➢ सूखा के मामले में राहत प्रदान करने की अवधि अधिकतम 60 दिनों की रहेगी और गंभीर सूखा (severe drought) की स्थिति में 90 दिनों की अवधि तक। ➢ 90 दिनों से अधिक सूखे की स्थिति बरकरार रहने के मामलें में राज्यस्तरीय समिति माहवार समीक्षा के आधार पर आभाव के वास्तविक अवधि/ वर्षात के आगमन के समय तक के लिए विस्तृत समीक्षा के उपरांत निर्णय लेगी कि किस अवधि तक राहत मुहैय्या करायी जाय।
17.	आवश्यक राहत सामग्रियों का वायुयान के माध्यम से वितरण।	➢ सी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0सी0सी0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा। ➢ साहायता की प्रमात्रा (Quantum) सिर्फ आवश्यक आपूर्त्ति हेतु air dropping और सिर्फ बचाव कार्य में प्रयुक्त वायुसेना/ अन्य एयरक्राफ्ट प्रदान करने वाले के वास्तविक बिल तक हीं सीमित रहेगी।
18.	**पात्रता प्राप्त (eligible sectors) में तत्काल प्रकृति के क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचनाओं की मरम्मति/ पुनर्स्थापन:-** ➢ (1) सड़क और पुल (2) पेय जलापूर्त्ति कार्य, (3) सिंचाई,	**तत्कालिक प्रकार के क्रियाकलाप** ➢ तत्कालिक प्रकृति के कार्यों (works of an immediate nature) की सूची संलग्न **परिशिष्ट** में दर्शाया गया है। **समय अवधि** ➢ तत्कालिक प्रकृति के कार्यों को प्रारंभ (For Undertaking) करने के लिए निम्नांकित समय सीमा निर्धारित की गई:-

	(4) उर्जा (प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल विधुत आपूर्त्ति पुनर्स्थापित करने तक ही सीमित), (5) प्राथमिक शिक्षा, (6) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, (7) पंचायत की सामुदायिक परिसम्पतियाँ। ➢ Telecommunication और ऊर्जा जैसे sectors (तत्काल विधुत आपूर्त्ति के पुन:स्थापन को छोड़कर) जो अपना राजस्व अर्जित करते हैं और तत्काल मरम्मति पुन:स्थापन कार्य अपनी निधि/ स्त्रोत से करते हैं वे सहायता पाने से वर्जित (excluded) हैं।	**<u>समतल क्षेत्रों के लिए</u>** (क) सामान्य आकार के आपदा के मामले में 30 दिन। (ख) प्रचंड आकार के आपदाओं के लिए 45 दिन। **<u>पहाड़ी क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए</u>** (क) सामान्य आकार के आपदाओं के मामले में 45 दिन। (ख) प्रचंड आकार के आपदाओं के लिए 60 दिन। **<u>आवश्यकताओं का आंकलन</u>** ➢ सी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0सी0सी0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा।
19.	सरकारी अस्पतालों/ स्वास्थ्य केन्द्रों के क्षतिग्रस्त चिकित्सकीय उपकरणों और बर्बाद दवाओं का पुनर्स्थापन।	○ सी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0सी0सी0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा। ○ साहाय्य की प्रमात्रा (Quantum) हुए वास्तविक खर्च के अंतर्गत होगी।
20.	एम्बुलेन्स सेवाएँ, चलन्त चिकित्सा दलों एवं अस्थायी अस्पतालों के संचालन केवल पी0ओ0एल0 के लिए।	➢ तथैव ➢ मदों की सूची, जो संचालन मूल्य के अंतर्गत आती है में निम्नांकित संधित रहेंगे:- ○ अस्थायी चिकित्सीय शिविर/ अस्थायी अस्पतालों को स्थापित करने का खर्च। ○ एम्बुलेंस गाड़ी को भाड़े पर लेना। ○ सिर्फ चलन्त चिकित्सक दलों के लिए। ○ परिवहन गाड़ियो का भाड़े पर लेना। ○ चलन्त चिकित्सक दलों के लिए एम्बुलेंस और ट्रांसपोर्ट गाड़ियों का वास्तविक पी0ओ0एल0 खर्च।
21.	मलवा की सफाई पर व्यय।	➢ सी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0सी0सी0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा। ➢ साहाय्य की प्रमात्रा (Quantum) हुए वास्तविक खर्च के अंतर्गत होगी। ➢ मलवों की सफाई के खर्च में सिर्फ आवासीय क्षेत्र के मलवे के पत्थर, ईंट, स्टील/ लोहा की सफाई तक हीं सीमित रहेगी।
22.	प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ के जल की निकासी।	➢ सी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0सी0सी0एफ0 से

		सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा। ➢ साहाय्य की प्रमात्रा (Quantum) हुए वास्तविक खर्च के अंतर्गत होगी।
23.	खोज एवं बचाव के उपाय पर व्यय।	➢ सी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0सी0सी0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा। ➢ साहाय्य की प्रमात्रा (Quantum) अधिसूचित राष्ट्रीय आपदा के 2 सप्ताह की अवधि के अंतर्गत खोज एवं बचाव कार्य में हुए वास्तविक खर्च के अंतर्गत होगी।
24.	मृत मानव एवं पशुओं के लाशों का निष्पादन।	➢ राज्य सरकार के प्रतिवेदन या केन्द्रीय दल की अनुसंशा के अनुसार वास्तविक आधार पर ।
25.	राज्य में आपदा प्रबंधन में शामिल राज्य के बहुशासनीय विशेषज्ञ समूहों/ दलों/ विभिन्न संवर्गों एवं सेवाओं के कार्मिकों का प्रशिक्षण।	➢ राज्य स्तरीय समिति के आंकलन के अनुसार सिर्फ सी0आर0एफ0 से ही (एन0सी0सी0एफ0 से नहीं) खर्च का वहन किया जाएगा। ➢ मद संख्या 25 और 26 में संयुक्त रूप से खर्च की गई राशि सी0आर0एफ0 के वार्षिक विनियोजन (Allocation) के 10 % से अधिक नहीं होनी चाहिए।
26.	आपदा राहत कोष के वार्षिक उपबंध के 10% के अंतर्गत यातायात उपकरण सहित आवश्यक खोज, बचाव/ निष्कासन के उपकरणों की प्राप्ति।	''तथैव''
क्रमांक	**नया मद**	**निर्धारित मानदर**
27.	भूस्खलन, बादल का फटना और बर्फ का गिरना (avalaunches)	➢ उपर सूचित विभिन्न अधिसूचित आपदाओं में लागू मानदर विभिन्न मदों के अनुसार।
28.	हानिकारक जीव या कीटाणु आक्रमण (सिर्फ टिड्डी और दाँतों से कुतरने वाला जन्तु (Rodent) का प्रकोप)	➢ Pest आक्रमण के चलते फसल हानि हेतु सहायता उसी प्रकार देय होगी, जैसा कि अन्य अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में किसानों को फसल क्षति के पश्चात् देय होता है। ➢ Pest आक्रमण के लिए खर्च कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा बड़े पैमानें पर बहुत बड़े क्षेत्रों के लिए चालू योजना के अंतर्गत हवाई छिड़काव कर वहन किया जाता है। व्यक्तिगत किसान की जमीन पर खेत दर खेत के आधार पर छिड़काव नहीं किया जाता है।

29.		प्राकृतिक आपदा अग्निकांड के लिए वर्तमान मानदर
	(i) Fire (अग्निकांड)	○ आकस्मिक अग्निकांड के पश्चात् दी जाने वाली सहायता उसी प्रकार दी जाएगी जिस तरह अन्य अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के पश्चात् क्षति/ जीवन, अंग, फसल, सम्पति इत्यादि के हानि के मदों में निर्धारित है। ○ साहायय् की उपर्युक्त अनुमान्यता राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकार द्वारा सत्यापित की जाएगी। ○ जंगल में लगी आग (Forest Fire) से संबंधित घटना पर्यावरण और वन मंत्रालय की योजना-समन्वित वन संरक्षण योजना से आच्छादित होगा। जंगल की आग से हुए क्षति जीवन, अंग-भंग, फसल और सम्पति की क्षति के मामले में प्रभावित व्यक्तियों को उसी प्रकार साहायय् अनुमान्य होगा जिस प्रकार अन्य अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के मामले में मानदर अनुमान्य है। (इस प्रकार की हानि समन्वित वन संरक्षण योजना के अंतर्गत आच्छादित नहीं है) ○ औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठान में अग्निकांड की घटना को बीमा योजना के अंतर्गत आच्छादित की जाय।

3. उपर्युक्त अंकित केन्द्रीय मानदर के क्रमांक 11 से 26 तक के मदों में व्यय के संबंध में आपदा राहत कोष समिति द्वारा समीक्षोपरांत निर्णय लिया जाएगा कि इन मदों में हुए व्यय की आपदा राहत कोष से किस हद तक भरपायी की जाय ।

4. पूर्व की भाँति वर्तमान में केन्द्रीय मानदर के क्रमांक 16 [पुराना मानदर मद संख्या- (14) में आपदा राहत कोष समिति की पूर्व बैठक में लिये गये निर्णय] के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच मुफ्त् खाद्यान्न के रूप में 50 कि0ग्रा0 गेहूं एवं 50 कि0ग्रा0 चावल का वितरण करने का आदेश पूर्ववत् जारी रहेगा।

5. केन्द्रीय मानदर के मद संख्या 16, [पुराना मानदर मद संख्या- (14) में आपदा राहत कोष समिति की पूर्व बैठक में लिये गये निर्णय] के आलोक में राज्य सरकार द्वारा पूर्ण विचारोपरांत अग्निकांड से पीड़ित परिवारों के बीच मुफ्त खाद्यान्न के रूप में 25 किग्रा0 गेहूँ एवं 25 किग्रा0 चावल का वितरण करने का आदेश पूर्ववत् लागू रहेगा।

6. भारत सरकार के पत्र संख्या- 32-34/2005/एन0डी0एम0 I, दिनांक- 27.06.2007 द्वारा निर्धारित एवं अद्यतन संशोधित उक्त मानदर जो 2005 से 2010 के लिए है। वह राज्य में दिनांक- 27.06.2007 के प्रभाव से लागू होगा तथा केन्द्रीय आपदा राहत कोष से उसी के अनुरूप व्यय किया जाएगा।

7. पूर्व में निर्गत मानदर संबंधी सभी आदेश निरस्त समझा जाए ।

8. यदि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा किसी मद का मानदर भारत सरकार के मानदर से अधिक निर्धारित किया जाता है अथवा राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई मद स्वीकृत किया जाता है, जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मदों की सूची में नहीं है, तो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित और स्वीकृत मानदर/मद ही प्रभावी होंगे ।

विश्वासभाजन,

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
आयुक्त एवं सचिव
आपदा प्रबंधन विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक - I प्रा0आ0 -36/2002/2462 आ0प्र0 दि0- 12/8/07
प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
आयुक्त एवं सचिव

ज्ञापांक - I प्रा0आ0 -36/2002/2462 आ0प्र0 दि0- 12/8/07
प्रतिलिपि: श्री बी0 मुरली कुमार, निदेशक NDM-I, भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन - I डिवीजन), नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली, को उनके पत्रांक- 32-34/2005- NDM-I दिनांक- 27 जून 2007, के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित ।

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
आयुक्त एवं सचिव

ज्ञापांक - I प्रा0आ0 -36/2002/2462 आ0प्र0 दि0- 12/8/07
प्रतिलिपि: मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
आयुक्त एवं सचिव

ज्ञापांक - I प्रा0आ0 -36/2002/2462 आ0प्र0 दि0- 12/8/07
प्रतिलिपि: माननीय मुख्य मंत्री/ माननीय उप मुख्य मंत्री के आप्त सचिव को माननीय मुख्य मंत्री/ माननीय उप मुख्य मंत्री के सूचनार्थ प्रेषित ।

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
आयुक्त एवं सचिव

(परिशिष्ट मद संख्या-18 का)

तत्कालिक प्रकृति के कार्यों (कार्यकलापों) की विस्तृत सूची:-

1. **पेय जलापूर्त्ति:**

(i) हैन्डपम्पों के क्षतिग्रस्त चबूतरों / रिंगवेल्स/ स्प्रिंग-टैप्ड चेम्बर्स/ पब्लिक स्टैण्ड पोस्ट/ जल-कुण्डों (Cisterns) की मरम्मति।

(ii) क्षतिग्रस्त पाईप लेन्थ (नई पाईप लेन्थ, स्वच्छ जलाशय की सफाई सहित) के प्रतिस्थापन सहित क्षतिग्रस्त स्टैण्ड पोस्ट का पुन: स्थापन (लीक प्रूफ बनाने हेतु)।

(iii) क्षतिग्रस्त पॅपिंग मशीन, चूने वाले जलाशय और वाटर पंप (क्षतिग्रस्त इनटेक सहित) की मरम्मति।

2. **सड़क:**

(i) दरार (Breaches) और सड़क के गड्ढ़े को (Potholes) भरना, जलमार्ग बनाने हेतु पाईप का उपयोग, तटबंधों की मरम्मति और स्टोन पीचिंग।

(ii) दरारयुक्त टूटे पुलियों की मरम्मति।

(iii) तत्कालिक सम्पर्क स्थापित करने हेतु क्षतिग्रस्त/ बह गए पुलों के अंश भाग पर दिक् परिवर्तन (Diversion) बनाना।

(iv) तत्कालिक सम्पर्क स्थापित करने हेतु पुल/ पुल के तटबंधों के समीप अस्थायी मरम्मति, क्षतिग्रस्त रेलिंग ब्रीज की मरम्मति/ काऊजवेज (Causeways) की मरम्मति कराना/ यातायात को पुन: स्थापित करने हेतु क्षतिग्रस्त सड़क पर छाई बिछाना।

3. **सिंचाई:**

(i) क्षतिग्रस्त नहर संरचनाओं की तत्कालिक मरम्मति और नहरों और छोटे जलाशयों का मिट्टी, सीमेंट, बालू के बोरों एवं पत्थरों से किया जाने वाला मिट्टी/ राज मिस्त्री का कार्य।

(ii) बांध/ तटबंध के कमजोर स्थलों पर (यथा पाईपींग या रैट होल्स) की मरम्मति।

(iii) नहर और जल निकासी तंत्र से वनस्पति सामग्री/ मकान बनाने की सामग्रियाँ/ मलबों का बाहर निकालना।

4. **स्वास्थ्य:**

क्षतिग्रस्त पहुँचाव पथों/ भवनों और लोक स्वास्थ्य केन्द्र/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की मरम्मति।

5. **पंचायतों की सामुदायिक परिसम्पत्तियाँ:**

(क) गाँव के आंतरिक सड़कों की मरम्मति।

(ख) Drainage/Sewerage से मलबों को हटाना।

(ग) आंतरिक जलापूर्त्ति लाईन की मरम्मति।

(घ) स्ट्रीट लाईट की मरम्मति।

(ड़) प्राथमिक विद्यालयों, पंचायत भवनों, सामुदायिक हॉल, आंगनबाड़ी केन्द्रों इत्यादि की अस्थायी मरम्मति।

पत्रांक- 1/प्रा0आ0-36/2002...2749.../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

डॉ0 सतेन्द्र,
विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी विभागीय प्रधान सचिव/ सचिव।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-15, दिनांक- 18/9/09

विषय: वर्ष 2005-10 तक के लिए दिनांक 27.06.2007 से प्रभावी प्रत्येक वर्ष बाढ़ एवं अन्य कृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को भारत सरकार द्वारा (सी0आर0एफ0 एवं एन0सी0सी0एफ0) निर्धारित साहाय्य मानदर के अनुरूप संशोधित मानदर पर साहाय्य मुहैय्या कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन-I डिविजन), नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली के पत्रांक- 32-34/2005 ए0डी0एम0-I दिनांक 27.06.2007 द्वारा आपदा राहत कोष (सी0आर0एफ0) तथा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन0सी0सी0एफ0) से वर्ष 2005-2010 तक प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों के बीच साहाय्य वितरण हेतु मदों की सूची एवं निर्धारित मानदर को विभागीय पत्रांक- 2462/आ0प्र0 दिनांक 12.08.2007, द्वारा लागू करते हुए परिचारित किया गया है।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन-I प्रभाग) के पत्रांक 32-17/2008 NDM-I दिनांक 31 जुलाई, 2009 द्वारा मानदर के क्रम संख्या- 10 (क) (i) क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मति और पुर्नस्थापन हेतु सहायता पूर्णतया क्षतिग्रस्त/ बर्बाद मकान के अंतर्गत पक्का मकान हेतु 25000/- रू0 प्रति मकान को तत्काल प्रभाव से संशोधित कर 35,000/- रू0 प्रति मकान किया गया है।

दिनांक 02.09.2009 की संपन्न आपदा राहत कोष समिति की बैठक में इसे राज्य में भी इस संशोधित मानदर को लागू करने का निर्णय लिया गया है।

अतएव विभागीय पत्रांक 2462 दिनांक 12.08.2007 के मद संख्या- 10 (क) (i) क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मति और पुर्नस्थापन हेतु सहायता पूर्णतया क्षतिग्रस्त/बर्बाद मकान के अंतर्गत पक्का मकान हेतु 25,000/- रू0 प्रति मकान को तत्काल प्रभाव से संशोधित कर 35,000/- रू0 प्रति मकान किया जाता है।

यह संशोधित दर भारत सरकार द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में दिनांक 31 जुलाई 2009 से प्रभावी होगा।

विश्वासभाजन

(सतेन्द्र)
विशेष सचिव
18.09.09